बिहारसरकार

जल संसाधनविभाग

ज्ञापांक– 08 / स्था०(अभि०)–03(प्रशि०)–10 / 2024............586 पटना, दिनांक– 10.2.2025

संकल्प

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित प्रशिक्षु अधिनियम–1961 (यथा संशोधित) अन्तर्गत राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में निहित प्रावधानों के आलोक में अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु डिग्री प्राप्त एवं डिप्लोमाधारी (तकनीकी) प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण अवधि में नियत स्टाईपेंड के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रावधान है। बिहार राज्य के विभिन्न विभागों एवं निगमों में उक्त अधिनियम के तहत राजकीय महाविद्यालयों (अभियंत्रण सहित) एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं का शत् प्रतिशत पंजीकरण NATS पोर्टल पर कराने एवं उक्त प्रशिक्षण को आकर्षक बनाये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की राशि को बढाये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

मंत्रिपरिषद की दिनांक–04.02.2025 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में प्रशिक्षु अधिनियम–1961 (यथा संशोधित) अन्तर्गत राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में निहित प्रावधानों के तहत राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों एवं निगमों में कुल कार्यरत संवर्गो के अधीन स्वीकृत मानव बल का 2.5% से 15% तक की सीमा अन्तर्गत प्रतिवेदित प्रशिक्षुओं के न्यूनतम निर्धारित स्टाइपेंड राशि की बढ़ोतरी के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

1. प्रशिक्षु अधिनियम–1961 (यथा संशोधित) अन्तर्गत राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में निहित प्रावधानों के आलोक में अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों एवं निगमों में निर्धारित संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु संलग्न कर उनके द्वारा अर्जित कौशल विकास के निमित प्रशिक्षण के क्रम में दी जाने वाली न्यूनतम निर्धारित स्टाइपेंड की राशि डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी (तकनीकी) प्रशिक्षुओं हेतु क्रमशः रूपया 9,000/- (नौ हजार) एवं रूपया 8,000/- (आठ हजार) प्रतिमाह को बढ़ाकर रूपया 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र एवं रूपया 10,000/- (दस हजार) मात्र प्रतिमाह किया जायेगा।

2. उक्त अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में नियत राशि का मात्र 50% की राशि ही प्राप्त होने की स्थिति में उक्त बढ़ोतरी के फलस्वरूप पडने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी की यह व्यवस्था केवल उन्ही विभागों एवं निगमों के लिये प्रभावी होगा जिनके द्वारा उक्त बढ़ोतरी हेतु प्रशिक्षुओं की संख्या जल संसाधन विभाग, बिहार को प्रतिवेदित है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है। कालान्तर में यदि अन्य विभागों/निगमों द्वारा प्रशिक्षुओं का संख्या बल विनिश्चित किया जाता है, अथवा किसी विभाग/निगम द्वारा प्रतिवेतिद प्रशिक्षुओं की संख्या बल में बढ़ोतरी की जाती है, तो उक्त के फलस्वरूप नियत स्टाइपेंड राशि की बढ़ोतरी एवं पडने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार पर संबंधित विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त की जायेगी।

4. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी विभाग, बिहार के पत्रांक–1213 दिनांक–23.03.2023 के आलोक में प्रशिक्षुओं को देय स्टाइपेंड राशि का व्यय भार स्थापना मद के विषयशीर्ष–28 02 संविदा सेवाएँ से भारित होगा।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।
अनुलग्नक–परिशिष्ट 1।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/2/25

(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–08 / स्था०(अभि०)–03(प्रशि०)–10 / 2024............586 पटना, दिनांक–10.2.2025

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/25

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–08 / स्था०(अभि०)–03(प्रशि०)–10 / 2024..........586 पटना, दिनांक– 10.2.2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान आप्त सचिव, विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/2/25

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–08 / स्था०(अभि०)–03(प्रशि०)–10 / 2024..........586 पटना, दिनांक– 10.2.2025

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/25

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–08 / स्था०(अभि०)–03(प्रशि०)–10 / 2024............586 पटना, दिनांक–10.2.2025

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (द्वारा आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना–7 को भेजने हेतु प्रेषित।

10/2/25

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांकः–08 / स्था०(अभि०)–03(प्रशि०)–10 / 2024..........586 पटना, दिनांक– 10.2.2025

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/2/25

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

परिशिष्ट–1

प्रशिक्षु अधिनियम–1961 के तहत राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों एवं निगमों द्वारा प्रतिवेदित प्रशिक्षुओं की संख्या

क्रमांक	विभाग/निगम का नाम	पत्र प्राप्ति की तिथि	निर्धारित प्रशिक्षुओं की सं०		
			डिग्री	डिप्लोमा	कुल सं०
1	अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग	2003/07.07.2023	41	95	136
2	अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	5666/14.09.23	4	15	19
3	अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग	344/11.10.23	123	164	287
4	अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग				0
5	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग				0
6	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग				0
7	अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	827/14.08.23	0	0	0
8	अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग				0
9	अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग				0
10	अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग,				0
11	अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग				0
12	अपर मुख्य सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	183/02-02-23	50	22	72
13	अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	4458/31.08.23	40	0	40
14	अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग				0
15	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	184/10.08.2023	55	139	194
16	प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग				0
17	प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग				0
18	प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग				0
19	प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग	657/26.07.2023	8	0	8
20	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग				0
21	प्रधान सचिव, वित्त विभाग				0
22	सचिव विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	3483/18.09.23	381	260	641
23	सचिव, भवन निर्माण विभाग	6035/26.07.2023	64	81	145
24	सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	6820/30.11.2023	49	70	119
25	सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग	1076/24.07.23	78	0	78
26	सचिव, पर्यटन विभाग				0
27	सचिव, कृषि विभाग				0
28	सचिव, परिवहन विभाग				0
29	सचिव, सामाज कल्याण विभाग				0
30	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग				0
31	सचिव, खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग				0
32	आयुक्त, पटना नगर निगम				0
33	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ०	1999/17.7.2023	0	2	2
34	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड				0
35	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०				0
36	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०				0
37	प्रबंध निदेशक, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०	2627/19.08.23	20		20
38	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०				0
39	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कंपनी लि०				0
40	प्रबंध निदेशक, बिहार रिन्यूवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा)				0
41	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लि०	6835/14.09.23	43	0	43
42	प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि०	2472/15.07.23	5	10	15
43	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०	8659/18.09.23	5	0	5
44	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लि०	50/18.08.23	74	66	140
45	प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०	4531/29.08.23	9	0	9
46	प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	118/17.08.23	34	70	104
47	प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	299/24.09.23	44	44	88
48	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कंपनी लि०				0
		कुल	1127	1038	2165

नोट:– प्रबंध निदेशक, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा कुल संख्या 20 प्रतिवेदित किया गया है। जिसमें डिग्री, डिप्लोमा की संख्या उल्लेखित नहीं है। राशि का आकलन करने हेतु इसे डिग्री प्रशिक्षु की श्रेणी में रखा गया है।

10/2/25